रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-1250/2025/1896/22-2-2023-17(156)/2018

लखनऊ: दिनांक: 27 अक्टूबर, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, बागपत में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी श्रीराम (बन्दी संख्या-147/16) पुत्र श्री गेन्देलाल, ग्राम-बुढ़सैनी, थाना-पिलाना, हाल-बालौनी जनपद-मेरठ हाल जनपद-बागपत का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-39/1978 में भा0द0वि0 की धारा-307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-05, मेरठ के आदेश दिनांक 31.10.1981 द्वारा दोषमुक्त किया गया, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 12.07.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, पुन: मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 03.09.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 06.03.2014 द्वारा यथावत रखा गया, बन्दी की 78 वर्ष की आयु, बन्दी द्वारा अपरिहार 09 वर्ष 06 माह 28 दिन तथा सपरिहार 12 माह, 05 माह 11 दिन की भोगी गयी सजा, सन्तोषजनक जेल आचरण, बन्दी की वृद्धावस्था तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, बागपत के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र

संयुक्त सचिव।

संख्या-1250/2025/1896(1)/22-2-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, बागपत।

3- पुलिस अधीक्षक, बागपत।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, बागपत।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in